

25.05.2022:-आज यह पत्रावली पेशी में आई । प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार कस्वा द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की मूल वादपत्र खारिज हो गया। इस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। इस कारण प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की पहचान की गई। अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र खारिज होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर जसेवेकम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तरी हो।

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

